सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 29 राँची, मंगलवार, 29 अग्रहायण, 1938 (श०)
20 दिसम्बर, 2016 (ई०)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

संकल्प

15 जुलाई, 2016

विषय :- **सम्पूर्ण राँची जिला तथा धनबाद एवं जमशेदपुर अनुभाजन क्षेत्रों में पॉयलट बेसिस पर जन वितरण प्रणाली दुकानों में Digital Weighing Machine के माध्यम से लाभुकों को खाद्यान्न वितरण किये जाने के संबंध में।**

संख्या- खा.प्र. 01/ज.वि.प्र.कं./10-03/2016-2705-- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के द्वारा राज्य में जन वितरण प्रणाली के सम्पूर्ण कम्प्यूटरीकरण करने की कार्य योजना बनायी गई है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या WP (C) 196/2001 में पारित आदेशों में जन वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण करने के निदेश दिये गये हैं । सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जस्टीस डी०पी० वाधवा की अध्यक्षता में गठित जन वितरण प्रणाली पर केन्द्रीय निगरानी समिति के द्वारा भी समयबद्ध तरीके से जन वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण करने का निदेश दिया गया है ।

2. उक्त के आलोक में विभाग द्वारा जन वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्णय लिया गया है एवं कार्य योजना तैयार की गई है ।

3. वर्तमान में Supply Chain का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है जिसमें जिला स्तर पर भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त खाद्यान्न का R.O. Breakup कर के जन वितरण प्रणाली दुकानदारों द्वारा NEFT के माध्यम से जमा किया गये राशि के विरूद्ध S.I.O. generate जिला गोदाम प्रबंधक द्वारा किया जाना है । प्रखण्ड स्थित राज्य खाद्य निगम के गोदामों में सहायक गोदाम प्रबंधक द्वारा प्राप्त खाद्यान्न को जन वितरण प्रणाली के दुकानों हेतु डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से आवंटित की जाती है ।

4. सरकार द्वारा प्रखण्ड स्थित सभी राज्य खाद्य निगम के गोदामों में डिजिटल भार मापक यन्त्र अधिष्ठापित किया जा चुका है । इससे झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के अधीन कार्यरत गोदामों में खाद्यान्न के आवागमन में सुविधा, पारदर्शिता तथा गुणात्मक वृद्धि हुयी है । साथ ही साथ सभी गोदामों मे सहायक गोदाम प्रबंधकों को टैबलेट डिभाईस भी उपलब्ध कराया गया है जिससे भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न प्राप्त कर आवंटित करने तक की सारी प्रक्रिया कम्प्यूटरीकृत कर ली गई है ।

5. डोर स्टेप डिलीवरी के वाहनों द्वारा खाद्यान्न को जन वितरण प्रणाली दुकानों तक पहुँचाने के अनुश्रवण हेतु GPS Tracking System की अधिष्ठापना की प्रक्रिया चल रही है ।

6. डोर स्टेप डिलीवरी के वाहनों द्वारा GPS Tracking System के उपयोग से खाद्यान्न के परिवहन में पारदर्शिता आयेगी तथा बेहतर अनुश्रवण में सहायता मिलेगी । खाद्यान्न की वास्तविक मात्रा जन वितरण प्रणाली दुकानों को उपलब्ध हो तथा साथ ही लाभुकों को भी निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त हो सके, इस हेतु जन वितरण प्रणाली दुकानों में पुराने तराजु के स्थान पर डिजिटल भार मापक यन्त्र के अधिष्ठापन का निर्णय लिया गया है ।

7. डोर स्टेप डिलीवरी के वाहनों द्वारा आपूर्ति की गई खाद्यान्न जो जूट बैग में पैक रहती है का वजन 50 किलोग्राम होता है। अतएव जन वितरण प्रणाली दुकानों के लिए 100 किलोग्राम तक की क्षमता वाले डिजिटल भार मापक यन्त्र का अधिष्ठापन किया जाना है ।

8. डिजिटल भार मापक यन्त्र के अधिष्ठापन से जहाँ दुकानों में डोर स्टेप डिलीवरी के वाहनों द्वारा वास्तविक मात्रा में पहुँचे खाद्यान्न की जानकारी मिलेगी वहीं लाभुकों को भी उचित मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त हो सकेगा । विदित है कि राँची जिला के सारे 1,967 जन वितरण प्रणाली दुकानो में BOO पद्धति द्वारा बॉयोमेट्रीक हैण्ड-हेल्ड डिभाईस के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है । डिजिटल भार मापक यन्त्र की मैपिंग बॉयोमेट्रीक हैण्ड-हेल्ड डिभाईस के साथ कर देने से लाभुकों को वास्तविक मात्रा में दी जा रही खाद्यान्न का ऑन लाईन अनुश्रवण भी संभव हो सकेगा। इससे जन वितरण प्रणाली की परिचालनीय दक्षता में वृद्धि होगी, सूचनाओं के आदान प्रदान में लगने वाले समय में कमी होगी ताकि ससमय निर्णय लिया जा सकेगा एवं योजनाओं का बेहतर अनुश्रवण संभव हो सकेगा । इससे सेवा प्रदायी प्रणाली की गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी होगी जिससे खाद्यान्न वितरण में होने वाले अनियमितता एवं क्षरण को रोका जा सकेगा, लक्षित लाभुकों को सुगमता से

खाद्यान्न उपलब्ध कराने के साथ-साथ यह भी सूचना प्राप्त होगी कि जन वितरण प्रणाली के वास्तविक लाभुकों के द्वारा ही योजना का लाभ उठाये जा रहे है एवं कार्यों के निष्पादन एवं प्रणाली/व्यक्तियों में प्रदर्शन का ऑन लाईन मूल्यांकन संभव हो सकेगा एवं पारदर्शिता में वृद्धि होगी ।

9. प्रथम चरण में राँची जिला, धनबाद अनुभाजन एवं जमशेदपुर अनुभाजन में इस योजना को पॉयलट योजना के रूप में संचालित किया जायेगा । पॉयलट योजना के सफल कार्यान्वयन होने पर अगले वित्तीय वर्ष से इसका प्रसार अन्य जिलों में किया जा सकेगा ।

10. राँची जिला, धनबाद अनुभाजन एवं जमशेदपुर अनुभाजन में इस योजना को पॉयलट योजना के रूप में संचालित किये जाने के विरूद्ध लगभग रूपये 4.00 करोड़ (चार करोड़) की राशि व्यय होने की संभावना है । वित्तीय वर्ष 2016-17 में इस हेतु रूपये 20.00 करोड़ (बीस करोड़) का बजटीय उपबंध उपलब्ध है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 29—100